न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 413 सन 2018
अनवान :–

1. होशियारसिह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजबाला 4 कान्ता 5. रचना उर्फ अर्चना पुत्रीया अमीलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 99/3 की 0.7380हैक , खसरा न0 197/3 की 0.7380हैक खसरा न0 291/3 की 1.1560हैक कुल 2.6320हैक भूमि जिसके अमीलाल पुत्र ख्यालीराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 298/285 की कुल 18.9190हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 68 हिस्सा अमीलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 99/3 की 0.7380हैक , खसरा न0 197/3 की 0.7380हैक खसरा न0 291/3 की 1.1560हैक कुल 2.6320हैक भूमि जिसके अमीलाल पुत्र ख्यालीराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 298/285 की कुल 18.9190हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 68 हिस्सा प्राप्त हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बट्वारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 99/3 की 0.7380हैक , खसरा न0 197/3 की 0.7380हैक खसरा न0 291/3 की 1. 1560हैक कुल 2.6320हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 298/285 की कुल 18.9190हैक में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 68 हिस्सा दर्ज है जो यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official